Order Sheet [Contd]

Case No. 371 .of 2022

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रकरण आज दिनांक–12.11.2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में खंडपीठ क0 27 के समक्ष प्रस्तुत	

राज्य द्वारा एडीपीओ अनुपस्थित।

अभियुक्तगण द्वारा अधिवक्ता श्री प्रदीप चौबे उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(1) व 320(2) दप्रसं. का प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि उभयपक्ष के मध्य ग्राम के वरिष्ट व्यक्तियों द्वारा समझाईश पर राजीनामा हो गया है एवं अब उभयपक्ष के मध्य कोई रंजिश शेष नहीं है। फरियादी अरविंद अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है एवं उभयपक्ष के मध्य राजीनामा बिना किसी दवाब लोभ, लालच के संपन्न हुआ है अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भाग दो भादवि. के संबंध में प्रकरण का विचारण लंबित है व धारा 294 व 506 भाग दो दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2019 के द्वारा धारा 320 दप्रसं. के अंतर्गत राजीनामा योग्य प्रकरण की श्रेणी में अंतरविष्ट किया गया है।

इस संबंध में न्याय दृष्टांत **राजीव गुप्ता उर्फ राजीव कुमार विरूद्ध स्टेट आफ झारखण्ड 227** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है– **It is well settled that any amendment in procedural law. the same will govern all the pending cases and it operates retrospectively. Section 320 of Cr.P.C. laid down procedure for compounding the case.**

अतः उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक मे यह स्पष्ट है कि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2019 के दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 320 भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी रहेगें तथा लंबित मामलों में भी लागू होगें।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भाग दो भादवि. के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। जिसका विचारण न्यायालय में लंबित है। उभयपक्ष द्वारा पूछे जाने पर उनके द्वारा बिना किसी भय दवाब, शारीरिक अथवा मानसिक प्रताडना के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा किया जाना व्यक्त किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि फरियादी प्रकरण में धारा 320(2) दप्रसं. के कॉलम नंबर 3 के अनुसार राजीनामा हेतु सक्षम व्यक्ति प्रतीत होता है, अतः उपरोक्त अवलोकनार्थ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(2) दप्रसं. स्वीकार किया जाता है। हस्तगत आवेदन पत्र द्वारा धारा 294, 323, 506 भाग दो भा0द0सं0 शमनीय प्रकृति का होने से अभियुक्तगण **01.अमित आ0 देवीसिंह, 02. देवीसिंह आ0 पर्वतसिंह, दोनों** निवासी–ग्राम सिरसौदा, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन म.प्र., को उक्त धारा के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं एवं जमानतदार उन्मोचित किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस का डण्डा मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाये, तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्तशुदा संपत्ति का व्ययन किया जाये।

प्रकरण में अनुसंधान तथा विचारण के दौरान अभियुक्तगण जेल में निरूद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में धारा 428 दप्रसं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

आदेश पत्रिका सीआईएस में अपलोड किया जावे।

प्रकरण का परिणाम सीआईएस एवं आपराधिक पंजी में दर्ज किया जाकर विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(श्री संजीव राय)
खण्डपीठ कमांक 27
पीठासीन सदस्य
गैरतगंज, रायसेन म0प्र0

(सुश्री प्रियंका सोलंकी)
खण्डपीठ कमांक 27
जे0एम0एफ0सी0
गैरतगंज, रायसेन म0प्र0